



Neutral Citation No. - 2026:AHC:57919-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 3319/2026

चिराग कुशवाहा और 6 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता

: हिमांशु मिश्रा

प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 49

माननीय न्यायमूर्ति अजय भनोट

माननीय न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना

याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री हिमांशु मिश्रा के ब्रीफ़ धारक श्री देश दीपक सिंह का तर्क है कि यह मामला वैवाहिक विवाद से संबंधित है। याचिकाकर्ता क्रमांक 1 पीड़िता का पति है। याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध एफ.आई.आर. में हितबद्ध पक्षों के उकसावे पर झूठे और गंभीर आरोप लगाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने न तो पीड़िता को प्रताड़ित किया और न ही दहेज की मांग की। आपराधिक कार्यवाही दुर्भावना से प्रेरित है और वैवाहिक विवाद का लाभ उठाने का प्रयास किया जा रहा है।

याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के **गीता मेहरोत्रा एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (2012) 10 एससीसी 741** और **कहकशान कौसर उर्फ़ सोनम एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (2022) 6 एससीसी 599** के निर्णयों का हवाला दिया है, जिनमें सर्वोच्च न्यायालय ने आपराधिक मामले दर्ज करके वैवाहिक विवादों को आपराधिक रंग देने की प्रवृत्ति पर ध्यान दिया है। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, यह आपराधिक मामला **गीता मेहरोत्रा (उपरोक्त) और कहकशान कौसर (उपरोक्त)** में प्रतिपादित कानून के विरुद्ध है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने सालिब उर्फ शालू उर्फ सलीम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 947 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले का भी हवाला दिया है, जिसमें अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग करके झूठे अभियोग चलाने की प्रवृत्ति पर ध्यान देने के बाद यह कहा गया था:

"26. इस स्तर पर, हम एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहेंगे। जब भी कोई अभियुक्त दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए एफआईआर या आपराधिक कार्यवाही को रद्द कराने के लिए न्यायालय के समक्ष आता है, मुख्य रूप से इस आधार पर कि ऐसी कार्यवाही स्पष्ट रूप से तुच्छ या परेशान करने वाली है या प्रतिशोध लेने के गुप्त उद्देश्य से शुरू की गई है, तो ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय का कर्तव्य है कि वह एफआईआर की सावधानीपूर्वक और अधिक बारीकी से विवेचना करे। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब शिकायतकर्ता व्यक्तिगत प्रतिशोध आदि जैसे किसी गुप्त उद्देश्य से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला करता है, तो वह सुनिश्चित करेगा कि एफआईआर/शिकायत सभी आवश्यक दलीलों के साथ अच्छी तरह से तैयार की गई हो। शिकायतकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि एफआईआर/शिकायत में किए गए आरोप ऐसे हों जो कथित अपराध के लिए आवश्यक तत्वों को प्रकट करते हों। इसलिए, यह पता लगाने के लिए कि कथित अपराध के लिए आवश्यक तत्व प्रकट हुए हैं या नहीं, केवल एफआईआर/शिकायत में किए गए आरोपों को देखना ही न्यायालय के लिए पर्याप्त नहीं होगा। तुच्छ या परेशान करने वाली कार्यवाही में, न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह आरोपों के अलावा मामले के रिकॉर्ड से उभरने वाली कई अन्य संबंधित परिस्थितियों पर भी गौर करे और यदि आवश्यक हो, तो उचित सावधानी और विवेक के साथ अंतर्निहित अर्थों को समझने का प्रयास करे। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय न्यायालय को किसी मामले की वर्तमान स्थिति तक ही सीमित रहने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे मामले की शुरुआत/पंजीकरण से संबंधित समग्र परिस्थितियों के साथ-साथ विवेचना के दौरान एकत्रित सामग्री को भी ध्यान में रखने का अधिकार है। उदाहरण के लिए, वर्तमान मामले को लें। समय-समय पर कई एफआईआर दर्ज की गई हैं। ऐसी परिस्थितियों के संदर्भ में ही कई एफआईआर का पंजीकरण महत्वपूर्ण हो जाता है, जिससे कथित तौर पर निजी या व्यक्तिगत द्वेष के कारण प्रतिशोध लेने का मुद्दा उठता है।

याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री हिमांशु मिश्रा के ब्रीफ धारक श्री देश दीपक सिंह का तर्क है कि पक्षों के बीच मतभेदों को मध्यस्थता के माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जा सकता है। यदि इस स्तर पर आपराधिक विवेचना जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो इससे और अधिक मनमुटाव बढ़ेगा और पक्षों के बीच दरार इतनी गहरी हो सकती है कि उसे ठीक करना असंभव हो जाए।

इस स्तर पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र, इलाहाबाद में मध्यस्थता के माध्यम से पक्षों के बीच विवादों को सुलझाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का तर्क प्रथम दृष्टया सही है। पक्ष इलाहाबाद उच्च न्यायालय मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र, इलाहाबाद की सहायता से सुलह का प्रयास करेंगे।

मामले को इलाहाबाद उच्च न्यायालय मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र, इलाहाबाद को भेजा जाता है ताकि मध्यस्थता के माध्यम से पक्षों के बीच सुलह कराने का प्रयास किया जा सके। संबंधित पक्षों द्वारा निम्नलिखित निर्देशों का पालन किया जाएगा:

1. याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे इलाहाबाद उच्च न्यायालय मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र, इलाहाबाद में एक माह के भीतर 30,000/- रुपये की राशि जमा करें।
2. प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में 25,000/- रुपये जारी किए जाएंगे, जबकि 5,000/- रुपये इलाहाबाद उच्च न्यायालय मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र, इलाहाबाद द्वारा रखे जाएंगे। यह राशि प्रतिवादी संख्या 4 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र, इलाहाबाद के समक्ष उनकी उपस्थिति के तुरंत बाद वितरित की जाएगी।
3. इलाहाबाद उच्च न्यायालय मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र, इलाहाबाद मई 2026 में मध्यस्थता की पहली तिथि निर्धारित करेगा और तदनुसार पक्षों को नोटिस जारी करेगा।
4. मई 2026 में मध्यस्थता कार्यवाही शुरू होने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर कार्यवाही पूरी की जाएगी।
5. इलाहाबाद उच्च न्यायालय मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र, इलाहाबाद इस न्यायालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
6. यदि याचिकाकर्ता उपर्युक्त अवधि के भीतर उपर्युक्त राशि जमा करने में विफल रहते हैं, तो यह आदेश इस न्यायालय के समक्ष अपील किए बिना निरस्त हो जाएगा। तब पुलिस अधिकारियों को कानून के अनुसार कार्यवाही करने की स्वतंत्रता होगी।

इसके बाद मामले को उचित पीठ के समक्ष तुरंत सूचीबद्ध किया जाए।

अगली सुनवाई की तारीख तक या धारा 173 सीआरपीसी/ धारा 193 बीएनएसएस के तहत पुलिस रिपोर्ट दाखिल होने तक, जो भी पहले हो, याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी दिनांक 21.01.2026 के आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर, जो कि पुलिस स्टेशन-टुंडला, जिला-फिरोजाबाद में

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



मुकदमा अपराध संख्या 41/2026 के तहत धारा 76, 296, 115(2), 352, 351(2) बीएनएसएस और 3/4 डी.पी. एक्ट के तहत दर्ज की गई है, स्थगित रहेगी।

इस मामले को आंशिक रूप से सुना हुआ या इस पीठ को सौंपा हुआ नहीं माना जाएगा।

यदि एक महीने के भीतर राशि जमा नहीं की जाती है, तो अंतरिम आदेश स्वतः ही रद्द हो जाएगा और पुलिस प्राधिकरण कानून के अनुसार कार्यवाही करेगा।

(तरुण सक्सेना, न्यायमूर्ति) (अजय भनोट, न्यायमूर्ति)

20 मार्च, 2026

वंदित

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"